समाहरणालय, मधेपुरा।
(जिला शस्त्र शाखा)
-: आदेश :-

श्री चन्द्र किशोर राय पे0 श्री शशिनाथ राय, ग्राम मधेपुरा वार्ड नं0-13/15, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा ने लिखित रूप में आवेदन, बायोडाटा के साथ समर्पित कर सूचित किया है कि इनके नाम से एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-11/2002(मधेपुरा थाना) पर धारित शस्त्र सं0-ए-21527 निर्गत है। इन्होंने अंकित किया है कि सरकारी कार्यो में व्यस्तता के कारण निर्धारित तिथि को अपने शस्त्रों का सत्यापन एव नवीकरण नहीं करवा सके हैं। इन्होंने शस्त्र अनुज्ञप्ति के भौतिक सत्यापन एवं नवीकरण किये जाने की अपेक्षा की है।

विदित हो कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 1835/श0, दिनांक 09-09-2013 के द्वारा मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने-अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं बायोडाटा विहित प्रपत्र में समर्पित करने हेतु दिनांक 04.10.2013 एवं 05.10.2013 का तिथि निर्धारित करते हुए आम सूचना जारी किया गया था। नैसर्गिक न्याय के तहत छूटे हुए अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन कराने हेतु पुनः दिनांक 19-10-2013 की तिथि निर्धारित की गई। उसके वावजूद भी श्री चन्द्र किशोर राय (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन एवं विहित प्रपत्र में डाटावेश समर्पित नहीं कराए जाने के कारण इस कार्यालय के ज्ञापांक 50/शस्त्र, दिनांक 12-12-2013 के द्वारा शस्त्र नियमावली-1962 की नियम-63 एवं आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति की शर्त्त-9(ए) का उल्लंघन मानते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-11/2002(मधेपुरा थाना) को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुज्ञप्तिधारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, जिसके आलोक में जवाव आवेदन प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा समर्पित बायोडाटा अधूरा है। बायोडाटा में अपना उम्र 72 वर्ष से अधिक अंकित किए हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा उक्त शस्त्र का समुचित रख-रखाव कर पाना असंभव प्रतीत होता है एवं दुरूपयोग किए जाने की पूर्ण संभावना है। कई बार भौतिक सत्यापन हेतु तिथि निर्धारण किए जाने के वावजूद भी अपने शस्त्र का भौतिक सत्यापन नही करायें हैं। ये सरकारी कार्य में व्यस्तता का बहाना बनाकर आरोप से बचना चाहते हैं। इनके द्वारा समर्पित जवाव आवेदन तथ्यहीन, भ्रामक एवं मनगढंत है, जो अनुज्ञप्ति शर्त्तो को पूरा नहीं करता है।

अतएव उल्लेखित परिपेक्ष्य में अनुज्ञप्ति शर्त्त एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 17 का उल्लंघन मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी के अभ्यावेदन को अस्वीकृत करते हुए इनके नाम से निर्गत एन.पी.बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति सं0-11/2002 (मधेपुरा थाना) को रद्द किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी श्री चन्द्र किशोर राय पे0 श्री शशिनाथ राय, ग्राम मधेपुरा वार्ड नं0-13/15, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि वे अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति पुस्त जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में एवं उस पर धारित शस्त्र सं0-ए-21527 को मधेपुरा थाना अथवा बिहार गन हाउस, मधेपुरा को पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।

जिला शस्त्र दंडाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि श्री राय द्वारा समर्पित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं मूल अनुज्ञप्ति पंजी पर " रद्द " प्रवृष्टि करवा कर हस्ताक्षर पृष्ठंकित कर देंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

ह0/-
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक 114 /शस्त्र, दिनांक 24-3-14

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा/ थानाध्यक्ष, मधेपुरा/ मेसर्स बिहार गन हाउस, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : श्री चन्द्र किशोर राय पे0 श्री शशिनाथ राय, ग्राम मधेपुरा वार्ड नं0-13/15, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/03/14
जिला दंडाधिकारी,
मधेपुरा।